



प्रियंका रूबी

बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध अध्ययनी- समाजशास्त्र, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार) भारत

Received-23.02.2024, Revised-01.03.2024, Accepted-09.03.2024 E-mail: rubipriyanka7@gmail.com

सारांश: विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में हैं और उनमें से ज्यादा संख्या किशोरों की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10-19 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को बालिका (किशोरियों) के रूप में परिभाषित किया है, यह वह समय है जब किशोरियों को सबल बनाना हमारे सतत् विकास का एक हिस्सा है। किशोरी बालिकाएं अपने आप की देखभाल में सफल हो सके इसलिए उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता का विकास करना जरूरी है ताकि वह अपना स्वस्थ भविष्य निर्माण कर सकें। सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है, जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है यह एक ऐसी मानसिक व्यवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवयश्यक कानूनों सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके मली-भौति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होती है। भारत के संदर्भ में इसे स्वस्थ आर्थिक विकास, शिक्षा व कानूनी अधिकार देने से देखा जाता है। किशोरी सशक्तिकरण का अर्थ उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना है ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हों और विकास कार्यों में भी उनकी भागीदारी हो सके।

कुंजीभूत शब्द- किशोरियों, सशक्तिकरण, आन्तरिक कुशलताओं, सतत् विकास, स्वावलम्बी, अस्मिता, आत्मविश्वासी।

सर्वविदित है कि एक महिला ही राष्ट्र निर्माता होती है, वह देश के विकास की गति को तेज करने की क्षमता रखती है। लेकिन सर्वप्रथम इनके आधार भूत जीवन का विकास आवश्यक है। यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण पोषाहार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, प्रशिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, नीतिनिर्माण, निर्णय प्रक्रिया में भी भाग लेने के अवसर दिये जायें ताकि एक स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक किशोरी आगे जाकर अपने परिवार समाज व देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। उसकी नैसर्गिक प्रतिभा कला कौशल सामार्थ्य रूचि जागरूकता को उजागर करने के लिए उसे सशक्तिकरण के माध्यम से विकास के उचित अवसर प्रदान करना अति आवश्यक है।

देश के भविष्य के लिए भारत में बालिकाओं (लड़कियों) की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलायें अपने बच्चों की पहली शिक्षक हैं, जो महिलाएं परिवार के प्रबंधन में बच्चों की उचित देखभाल करने में नाकाम रहती हैं। इस प्रकार भविष्य की पीढ़ी कमजोर हो सकती है। लड़कियों की शिक्षा में कई फायदे हैं। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के काम और बोझ को साक्षात् कर सकती है। एक शिक्षित लड़की की अगर कम उम्र में शादी नहीं की गई तो वह लेखक, शिक्षक, वकील डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर सकती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकती है।

शिक्षित लड़कियाँ बच्चों में अच्छे गुण प्रदान करके परिवार के प्रत्येक सदस्य को उत्तरदायी बना सकती है। शिक्षित महिला सामाजिक कार्यकलापों में भाग ले सकती है और यह सामाजिक आर्थिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान हो सकती है। एक आदमी को शिक्षित किया जा सकता, परन्तु उससे देश का कुछ हिस्सा शिक्षित किया जा सकता है, जबकि महिला के शिक्षित करके पूरा देश शिक्षित हो सकता है। लड़कियों की शिक्षा की कमी ने समाज के शक्तिशाली भाग को कमजोर कर दिया है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुषों से कमजोर नहीं मानना चाहिए। आर्थिक युग में लड़कियों के लिए शिक्षा एक वरदान है। आज के समय में एक मध्यमवर्गीय परिवार की समय में एक मध्यमवर्गीय परिवार की समय में एक मध्यमवर्गीय परिवार की जरूरतों को पूरा करना वास्तव में कठिन है। शादी के बाद अगर एक शिक्षित लड़की काम करती है। तो वह अपने पति के साथ परिवार के खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह काम करके पैसा कमा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की सभी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में अभी भी शिक्षा को लेकर लैंगिक भेदभाव किया जाता है, जहाँ लड़कों की शिक्षा को तवज्जो दी जाती है वहीं लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।

शिक्षा महिलाओं के सोच के दायरों को भी बढ़ाती है जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती है। इससे वह यह भी तय कर सकती है कि उसके और उसके परिवार के लिए क्या सबसे अच्छा है। शिक्षा एक लड़की को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है ताकि वह अपने अधिकांश और महिलाओं के सशक्तिकरण को पहचान सके जिससे उसे लिंग असमानता की समस्या से लड़ने में मदद मिले।

- भारत पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.12%) और बिहार (51.50%) में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।
- जनगणना आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64.64%) देश की कुल साक्षरता दर (74.04%) से भी कम है।
- बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती है। इसके अलावा कई लड़कियों रूढ़ीवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं।



- कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में 15.24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8% है।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में।
- आँकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ते या लिखने में असमर्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार लड़कियों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब महिलाएँ शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। पिछले साढ़े तीन वर्षों से अधिक के कार्यकाल में मोदी सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम योजनाएँ चलाई गई हैं। लड़कियों के लिए कई छात्रवृत्ति शुरू की गई हैं। मोदी सरकार के बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान का व्यापक असर हुआ है, इससे समाज में लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा को लेकर सोच में बदलाव आया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं :

सर्व शिक्षा अभियान- केन्द्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, हर वर्ग की बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस अभियान के तहत लड़कियों को स्कूलों में ही आत्मनिर्भर बनाने और दूसरे सामाजिक पहलुओं के बारे में जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत लड़कियों को मार्शल, आर्ट, प्रशिक्षण युग्मी बस्तियों में रहने वाली बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही नाटक के माध्यम से इन बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है।

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना- बेटियों के प्रति सोच बदलने में केन्द्र सरकार का यह अभियान काफी सरकार का यह अभियान काफी कारगर साबित हुआ है। इस अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के तहत कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले पाँच स्कूलों को पुरस्कृत किया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही लड़कियों की शिक्षा के लिए बचपन से ही पैसा जोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में इसका ऐलान किया था। इस योजना के तहत बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खोला जाता है और उस पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है। यह पैसा लड़कियों की शिक्षा और उनके शादी के खर्च में काम आ सकता है। इस योजना के तहत तीन वर्षों में 1.26 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और बच्चियों के नाम से 19.01.1983 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।

पोशाक योजना- इस पोशाक योजना के तहत कक्षा नौवीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को पोशाक खरीदने के लिए 1500 रुपये दिये जाते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की पोशाक दिलवाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब या मध्यमवर्ग के परिवारों के बच्चों को लाभ पहुँचाना है जिनके लिए ये अच्छी साबित हो सकें। और छात्र, छात्राएँ बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके अलावा बिहार में और भी कई छात्रों के हित में छात्रवृत्ति योजना, इत्यादि।

मुख्यमंत्री बालिका, पोशाक योजना बिहार के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे 15 लाख 27 हजार 126 और 11 वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही 2 लाख 11 हजार 196 छात्राओं को 1500 रुपये की दर से उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मुगमान करने का आदेश है। यहाँ पोशाक के लिए कुल 17 लाख 38 हजार 322 छात्राओं को 26 करोड़ 74 लाख 83 हजार रुपये सभी जिलों को जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना- मुख्यमंत्री साइकिल योजना राज्य सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लड़कों एवं लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें उनके विद्यालय में जाने की सुविधा मिल सके और पढ़ाई में सुविधा मिल सके और पढ़ाई में रुकावट ना आए। साथ ही समय की बचत भी हो। मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रति छात्र 2000 दिए जाते थे लेकिन अब उसे 3000 प्रति छात्र कर दिये गए हैं।

बिहार सरकार द्वारा आर्थिक हल युवाओं को बल योजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इस योजना का लाभ भी बालिकाओं को मिला है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना- 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आशा रखते हैं। उन विद्यार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का प्रयोजन होशियार विद्यार्थियों की आर्थिक रूप से सहायता करके शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत 75000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा, और आगं एक लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के लाभ :

- इस योजना के तहत 12वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थी जो, उच्च शिक्षा की आशा रखते हैं। उन्हें 4 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

- इस योजना के अनुसार पढ़ाई पर आने वाला खर्च एवं अध्ययन फीस छात्रावास आदि खर्च भी इसमें ही सम्मिलित है।



- इस परियोजना के अंतर्गत सामान्य पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए लोन सुविधा निर्धारित की गई है।
- अगर छात्रावास जैसी सुविधा विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं है, तब भी उसका योजना भता उसको दिया जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश :
- यह योजना केवल राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए है।
- इस योजना का लाभ केवल उन्ही विद्यार्थियों के लिए है, जो 12वी कक्षा पास कर चुके हैं और आगे पढाई जारी रखना चाहते हैं।
- आवेदन की आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- उन सभी निर्धारित स्तानकोतर पाठ्यक्रमों के लिए जहाँ प्रवेश के लिए कम से कम योग्यता ग्रेजुएशन है, वहाँ पर अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे बड़ी आयु वाले इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना- एक बच्ची होने पर निःशुल्क मिलनी है शिक्षा सीबीएसई ने घोषणा की थी कि परिवार में एक बच्ची है, तो उसकी शिक्षा निःशुल्क और दो बच्चियाँ है तो उसमें से एक की शिक्षा निःशुल्क और दुसरे की सिर्फ 50 फीसदी शुल्क ली जा सकेगी। इसी की आधार बनाकर सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले अभिभावक अपनी बेटी के एडमिशन के लिए स्कुल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हे दाखिला नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की इस योजना को कुछ प्राइवेट स्कूल मानने से साफ इकार कर रहे हैं।

निष्कर्षतः- हम कह सकते हैं कि बालिकाओं के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएं बालिकाओं में शिक्षा का विकास करने के साथ ही उनमें क्षमता निर्माण व सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता को भी बढ़ा रही है। साथ ही अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं में सम्मिलित किशोरियां कानूनी जागरूकता, राजनैतिक जागरूकता व सामाजिक जागरूकता रखती है, इसके अतिरिक्त उनमें क्षमता विकास भी पाया गया। किशोरियां आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यवसायों की जानकारी और उन्हें करने की योग्यता रखती है। उन्हें वैकल्पिक रोजगारों की भी जानकारी है। इन योजनाओं में उन्हें वैकल्पिक रोजगारों की जानकारी दी जाती है व प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वह भविष्य में अपनी जीविकापार्जन आसानी से कर सकती है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं द्वारा उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसकी वजह से वे बिना भय के कहीं भी आ जा सकती है। किसी से भी बिना झिझक आसानी से बात कर सकती है। अपने अधिकारों की जानकारी होने से वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। अपनी बात किसी के समक्ष रख सकती है। दूसरों के अधिकारों के लिए भी अपना योगदान कर सकती हैं। अपने तथा दूसरों के प्रति होने वाले अन्यायों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं किशोरियां अपनी आयु के अनुसार प्रत्येक कार्य करने की योग्यता रखती है व कर सकती है। किशोरियों को युवावस्था में होने वाली विभिन्न गलत आदतों नशीली दवाओं की जानकारी रखती है। जिससे वह अपना व अपने परिवार का बचाव इनसे कर सकती है व समाज को इनके बुरे परिणामों के प्रति जागरूक कर सकती है। पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें अपने को स्वस्थ रखना भी सिखाया जाता है कहा जा सकता है कि ये योजनाएँ किशोरियों का सशक्तिकरण करने में मदद कर रही है और अपने उद्देश्यों में भी सफल हो रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जोशी एवं गुप्ता, परियोजना नियोजन तथा नियंत्रण, कल्याणी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010.
2. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेशय भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
3. मिश्रा, राजेन्द्र एवं तिवारी, प्रहलादय बालिका शिक्षा, नवसाक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
4. वी० के० मिश्रा एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, 2010.
5. सारस्वत, स्वप्निलय महिला विकास: एक परिदृश्य, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007.
6. सिन्हा, सच्चिदानन्दय वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
7. हसनैन, नदीमय समकालीन भारतीय समाज: एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेन्टर, 17 अशोक मार्ग लखनऊ, प्रथम संस्करण वर्ष - 2004.
8. योजना एवं कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
